न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–90/2010 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. प्यारेलाल पुत्र स्व0 श्री खिल्लू,
2. रत्तीराम पुत्र स्व0 श्री खिल्लू,
3. भिन्डो पुत्री स्व0 श्री खिल्लू,
4. चिम्मी पुत्री स्व0 श्री खिल्लू,
5. हीरू पुत्र स्व0 श्री खिल्लू जाति भंगी निवासीयान ग्राम निवाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

.....अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर ।

..... वादी/रेस्पो0

2. फूलसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चण्डीगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1
3. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.11.2017

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 ग्राम चण्डीगढ़ के खाता सं0 183 पर खिल्लू पुत्र छोटा भंगी साकिन निवाली गैर खातेदार ख0 नं0 530 रबा 1.19 है0 पर अंकित है । उक्त आराजी का साबिक ख0 नं0 1550 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा है । उक्त खसरा नम्बर को खिल्लू पुत्र छोटा भंगी ने दिनांक 14.07.1985 को जर्ये इकरारनामा राशि 30,550/– रू0 में मांगेलाल पुत्र मूंगाराम चमार निवासी ग्राम घाटा शेर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) को विक्रय किया

30.11.17

था जिसके इकरारनामा की छाया प्रति संलग्न है । दि0 20.06.1987 को श्री मांगेलाल पुत्र मंगालाल चमार ने राशि 32,900 रू0 में फूलसिंह पुत्र मानसिंह जाति अहीर निवासी चण्डीगढ़ को जर्ये अनुबन्ध पत्र के विक्रय कर दिया । वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर फूलसिंह पुत्र मानसिंह अहीर निवासी चण्डीगढ़ का कब्जा है । अतः प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करें । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन वे बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी । विद्धान तहत न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 29.07.2010 को विवादित आराजी को रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जाकर वर्तमान में काबिज फूलसिंह पुत्र मानसिंह को बेदखल कर भूमि को कब्जे राज लिये जाने के आदेश जारी कर दिये जिस निर्णय व डिक्री दि0 29.07.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आराजी हाल ख0 नं0 530 रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम चण्डीगढ़ कभी भी कस्टोडियन की आराजी नहीं रही है तथा विवादित आराजी पर अपीलांट का अरसे दराज से कब्जा काश्त रहा है । तथाकथित इकरारनामा कतई फर्जी एवं बनावटी है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को कोई विश्वास नहीं करना चाहिए था । श्री खिल्लू ने अपने जीवनकाल में कभी भी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में इकरारनामा तहरीर व तकमील नहीं किया और ना ही मांगेराम ने कभी कोई अनुबंध प्रतिवादी/रेस्पो0 से किया है ।

विवादित आराजी पर कभी किसी का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त विवादित आराजी पर श्री खिल्लू ही अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर काश्त करते थे तथा उनके स्वर्गवास के बाद हम अपीलांट के नाम विरासत का इन्तकाल सं0 122 दि0 5.8.2010 को दर्ज व स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर आज तक हम बतौर गैर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो0 द्वारा दि0 7.7.2010 को वादपत्र पेश किया गया तथा महज 14 दिन के अन्दर विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पो0/प्रतिवादी की इकतरफा करते हुए कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है जबकि कानूनन हम अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाना चाहिए था लेकिन हमें बिना पक्षकार बनाये एवं बिना तलब किये तथा हमें बिना सुने हुए निर्णय पारित किया है तथा हमें पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर हमें सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट पेश की है वह रंजिशवश झूंठी एवं मौका के खिलाफ पेश की है । उक्त विवादित आराजी खिल्लू पुत्र छोटा भंगी की कब्जे काश्त की आराजी थी तथा उक्त आराजी को बेचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

उन्होंने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हम अपीलांटान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है तथा हम उक्त निर्णय व डिक्री से एग्रीव्ड है तथा हमारा उक्त

30.11.21

आराजी में हित निहित है । इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन करते हुए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करने की इस्तदुआ की ।

विद्वान पैरोकार सरकार का कथन है कि एस.सी. की भूमि पर सामान्य वर्ग काबिज होने के कारण जो धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही तहत न्यायालय ने की है वह उचित है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावें ।

विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश चन्द सतीजा रेस्पो0 सं0 2 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी खिल्लू ने मांगेलाल को बेची है जिन्हें भी तहत न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया है । हम तो मांगेलाल के फूट स्टेप पर आये है । यह सैलडीड नहीं है, यह एग्रीमेन्ट से विक्रय है । एग्रीमेन्ट से विक्रय की प्रति पेश की है । इसमें हमारा विरोध है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली तथा निर्णय का अवलोकन किया तथा अपील के बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवादित आराजी पर अपीलांट व उसके पिता गैर खातेदार के रूप में रेकार्ड में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना उन्हें पक्षकार बनाये तथा कथित दस्तावेजों की वैधानिक जांच किये बिना अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया है ।

सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित जमीन पर यदि किसी तरह से अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें कब्जा दिलाने का विधिक प्रावधान है । कथित दस्तावेजों के द्वारा हस्तान्तरण वैध है या नहीं, इसकी जांच किये बिना तथा अपीलांट गैर खातेदार को बिना सुने विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने का तहत न्यायालय का आदेश न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 29.07.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व इन्द्राजों को यथावत रखते हुए अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाकर उन्हें रेकार्ड, साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देकर तथा उभयपक्षों को पुनः सुनकर उचित निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर